

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिलारीवा

म० प्र०

निगरानी प्रकरण न० / 2014



734  
29.10.14

R-3894-100/14  
तीन

Rs. 20/-

कृष्णदत्त शुक्ला तनय विश्वनाथ शुक्ला ग्राम बौदा, तहसील सेमरिया,

जिला रीवा म० प्र० ----- आवेदक

वनाम

शानेन्द्र प्रताप सिंहतनय लाल भागवत प्रताप सिंह साकिन बौदा, तह०

सेमरिया, जिलारीवा म० प्र० ----- आवेदक

श्री. ~~का. क. क. क.~~ एड  
द्वारा आज दिनांक.. 29.10.14 के  
आज्ञा किया गया।

रीडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध निणयि अमर कले०

रीवा जिलारीवा प्रकरण न० 21/अ66/

अपील/ 2013-14 आवेश दिनांक 26-8-14

अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मूराजस्व संश्लि।।

क्रमांक  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त

मान्यवर,

निगरानीके आधार निम्नलिखित है:-

कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

1- यहकि अतीनस्थ न्यायालय का निणयिविधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

क्रमांक 3696  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक को प्राप्त

यहकि अपीलार्थी का मकान आ० न० 1087/1 रकवा०-049 हे० मूमि

पर बना हुआ है, जिसमे वह सपरिवार निवास कर रहा है, अपीलार्थीने यह

कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

मूमि तत्कालीन मूमि स्वामी एवम कब्जेदार एम० पी० सिंह से खरीदा था, जाँ

रेस्मा० के परिवारके सदस्य एवम मालिक थे। अपीलार्थी तब से अती तक

उक्त मकानसे निवास कर रहा है ऐसी स्थिति मे उसे उक्त विवादित मूखण्डमे

मूमि स्वामी के अधिकार नैसर्गिक विधि एवम आवासीय राजस्व अधिनियम के


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

46

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. नि.3894/III/14

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता 4 पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उनको समय-समय पर आवाज लगवाई गयी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	

M

24